

1/3/24

पत्रावली पेश हुई/वकील वाली/समस्या
किसी पीछेपीछे अधिकारी मुनाब/अपना कर्तव्य
में करत है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक...26/10/24... को पेश हो

26/5/24

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावकगण
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक...11/11/24...
को पेश हो।

14/11/24

पत्रावली पेश हुई। आज अभिभावकगण
ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक...22/11/24...
को पेश हो।

21/9/24

पत्रा पेश हुई वकील आद पत्रा 21/9/24
वहस लेह पत्रा अपर पत्रा अपर
दिनांक पत्रा दि. 29/10/24 को पेश हो।
जिसे

29-10-2024

पत्रा. पेश हुई मुनाब
उपय पत्रा उपय। प्रकरण में वकील मुनाब
उपय पत्रा ग.प. शब्द पर सुनी गई।
वकील कहेस पत्रावली दिनांक 12/11/2024 को पेश
हो।
जिसे

12-11-2024

पत्रा पेश हुई मुनाब उपय पत्रा
उपय व्यक्तता के चकते प्रकरण में कहेस
नही लिखवाका जा सका। वकील कहेस
पत्रावली दिनांक 15-11-2024 को पेश हो।
जिसे


(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

15/11/2021

पत्रावली वास्ते आदेश उभय पक्ष द्वारा। वक्रुलाप उभय पक्ष उभय प्रकरण में बहस वक्रुलाप उभय पक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है। परन्तु बहस पक्षीय प्राची ने अपने शर्चना-पत्र में अंडित लक्षों को दोहराने हुए अशर्चना-पत्र को विवादित आराजी के मौजूद एवं रेकार्ड की सथास्थिति बनाने अपने बहस पक्षीय फरमाने का विवेक विषय वकील प्राची की बहस के जगह में वकील अशर्चना ने अपने जगह प्रा.पत्र न.ए. में अंडित लक्षों को दोहराने हुए प्राची का शर्चना-पत्र लक्ष्य, जातिज फरमाने का विवेक विषय।

पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड का कवकोहन डिजिटल तथा एवं बहस वक्रुलाप उभय पक्ष पर सगौरव मनन डिजिटल गणना।


वकील प्राची का अभिप्रेत है कि विवादित आराजी का नं० 1041 बहस 1.79 प्राची एवं अशर्चना सं० 1 का उ की पेंचुड रुबि भूमि है। प्राची, अशर्चना सं० 1 का पुत्र है एवं अपने उक्त हिस्से की भूमि पर कांतिज करत है। अशर्चना सं० 1 द्वारा विवादित आराजी के संबंध में अशर्चना सं० 3 के पक्ष में विवादित विरूप पत्र दिनांकित 11.06.2015 एवं उसके आधार पर भरा गया न्यायान्तरकरण सं० 181 प्राची के अधिपते के मुकाबले शून्य एवं उक्त अदम बेअसर है। जबकि वकील अशर्चना का अभिप्रेत है कि प्राची की माता लीजू देवी का अशर्चना सं० 1 से तलाक है तथा यह तथा उक्त लीजू देवी एवं प्राची बाद तलाक ग्राम पनलाग में निवास करते हैं तथा प्राची के समस्त दस्तावेजात में प्राची के पिता का नाम मानाराम नि. पनलाग वर्त है। विवादित आराजी से प्राची का कोई सरोकार नहीं है। विरूप पत्र दिनांकित 11.06.2015 प्रभावी रहने हुए प्राची का शर्चना-पत्र कानूनन चलने योग्य नहीं है।



चूंकि उक्त अभिप्रेत लक्षों का निष् मूल वादपत्र में स्थाप्य किसे जाने के उपरान्त गुणावगुण पर डिजिटल जाना है। अतः मूल वादपत्र के विस्तारण तब विवादित आराजी के सम्बन्ध में

न्यायालय हाजा द्वारा जारी अनारिस्ट
 T.I. को तादीराने फ़ैसल बाद Confirm
 किया जात है। पचासकी फ़ैसल शुक्रार
 होकर नम्बर से कम हो ग्या बाद
 नक़्शील दाख़िल करार हो। यह निर्णय
 आज दिनांक 15/11/2021 को मेरे द्वारा
 हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित
 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
 RAS
 सहायक ज़लख़्तर
 इक्विलीय (सीडर)



7
 11